कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।

(Email id-rtasaranbihar@gmail.com)

सूचना

एतद् द्वारा सभी वाहन स्वामियों/वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200(1) के तहत वर्णित धाराओं के अंतर्गत निर्गत ई–चालानों (शमन) जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिनों से अधिक अवधि व्यतित होने के बावजूद भी उक्त ई–चालान की राशि जमा नहीं की गई है, के निवारण हेतु परिवहन विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से **''एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026''** के अंतर्गत इस प्रकार के चालानो के निष्पादन हेतु **दिनांक–09.05.2026 को आहूत राष्ट्रीय लोक अदालत** के माध्यम से कार्रवाई किये जाने हेतु आदेश निर्गत है।

अतः वाहन स्वामियों/वाहन चालकों को अवगत कराया जा रहा है कि शमन के रूप में निर्गत चालानो में से वैसे चालान **जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है**, के संबंध में उक्त **राष्ट्रीय लोक अदालत** में भाग लेकर इस प्रकार के चालानो को निष्पादित करवाने की कार्रवाई कर सकते हैं। साथ हीं इसके संबंध में किसी प्रकार के अन्य विशेष जानकारी हेतु अपने जिला के जिला परिवहन कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

06/05/2026

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमंडल, छपरा।